# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 66 / 2020(2020 / 00376)

अनवान : —

1. मेदसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपुत निवासी पालड़ी तहसील भादरा।

— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री राजेन्द्र जाखल —प्रार्थी
राजपैरोकार —राज0 सरकार

निर्णय दिनांक : 04/02/21

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा पालड़ी के खाता सं0 19 / 14 के खसरा सं0 14 की कुल 8.298 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थी की खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम मेद सिंह के स्थान पर उम्मेदसिंह पुत्र हरिसिंह दर्ज हो गया।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम मेद सिंह की बजाऐ उम्मेदसिंह दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता हरिसिंह के उम्मेदसिंह नामक कोई लड़का नहीं है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक में प्रार्थी का नाम मेद सिंह पुत्र हरि सिंह दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत भाडी के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में मेद सिंह की बजाऐ उम्मेद सिंह दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम उम्मेदसिंह पुत्र हरिसिंह के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम मेद सिंह पुत्र हरिसिंह दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:29 IST
Reason: SelfAttested

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से सम्बंधित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मेद सिंह के स्थान पर उम्मेद सिंह दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑनलाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम उम्मेदसिंह दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से



उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वंजित होना पड़ता है। प्रार्थी के रोही मोजा पालड़ी के खाता संख्या 19/14 में प्रार्थी का नाम मेदसिंह दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी मेदसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट (राजपूत) निवासी पालड़ी तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये जो रोही मोजा पालड़ी जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 19/14 प्रदर्श 1 है, सरपंच ग्राम पंचायत भाडी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने ग्राम रोही मौजा ग्राम पालड़ी के खाता सं0 19/14 की कुल 8.298 हैक्टेयर में राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **"प्रार्थी का सही नाम मेद सिंह के स्थान पर उम्मेद सिंह दर्ज हो गया।"** जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपना मुख्य परीक्षा का शपथ पेश कर प्रमाणित प्रति आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड व पेन कार्ड पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम मेद सिंह अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मोजा पालड़ी के खाता संख्या 19/14 में प्रार्थी का नाम **"उम्मेद सिंह के स्थान पर मेद सिंह "** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच उम्मेदसिंह पुत्र हरिसिंह के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए उम्मेदसिंह ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/02/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) RAS
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:29 IST
Reason: SelfAttested

Note:- निर्णय दिनांक 04/02/21 की पान्चवी लाईन में जाति-जाट के स्थान पर जाति राजपूत पढ़ा जावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)